

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संख्या-2/आर-229/2026- /स्वा०, पटना, दिनांक / /2026

डा० आदित्य कुमार, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना का दिनांक-17.08.2022 से 04.01.2023 तक प्रभार रहित अवधि, दिनांक-07.01.2023 से 08.01.2026 तक अध्ययन अवधि एवं दिनांक-09.01.2026 से 09.03.2026 तक प्रभार रहित अवधि को निम्नरूपेण विनियमित किया जाता है:-

1	दिनांक-17.08.2022 से 04.01.2023 तक (कुल-141 दिन)	
i	दिनांक-17.08.2022 से 11.09.2022 तक	पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि के रूप में। (स्वास्थ्य विभाग मुख्यालय)
ii	दिनांक-12.09.2022 से 14.09.2022 तक	असाधारण अवकाश के रूप में। (बिहार सेवा संहिता के नियम-236 के आलोक में)
iii	दिनांक-15.09.2022 से 08.11.2022 तक	पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि के रूप में। (स्वास्थ्य विभाग मुख्यालय)
iv	दिनांक-09.11.2022 से 10.11.2022 तक	असाधारण अवकाश के रूप में। (बिहार सेवा संहिता के नियम-236 के आलोक में)
v	दिनांक-11.11.2022 से 30.12.2022 तक	पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि के रूप में। (स्वास्थ्य विभाग मुख्यालय)
vi	दिनांक-31.12.2022 से 04.01.2023 तक	पदग्रहण काल के रूप में।
2.	दिनांक-07.01.2023 से 09.03.2026 तक अध्ययन अवधि एवं प्रभार रहित अवधि	
i	दिनांक-07.01.2023 से 08.01.2026 तक	(कुल-1096 दिन) अध्ययन अवधि को असाधारण अवकाश के रूप में। (विभागीय अधिसूचना संख्या- 2045(2) दिनांक-30.11.2011 के आलोक में)
ii	दिनांक-09.01.2026 से 09.03.2026 तक	पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि के रूप में। (स्वास्थ्य विभाग मुख्यालय)

2 प्रस्ताव में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विनोद कुमार पाठक)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापक-2/आर-229/2026- 2158 [2] पटना, दिनांक 10/9/2026

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग बिहार, पटना/अधीक्षक, पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना/कोषागार पदाधिकारी, पटना/डा० आदित्य कुमार, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना/प्रशाखा-3, 9 एवं 18A को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निर्दिष्ट: आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

W. M. K. 10/9/26
सरकार के उप सचिव